<u>पश्चिम मध्य रेल</u>

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/१४.

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-२६.०६.२०१४

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)
<u>पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर</u>

विषय- माह अगस्त-२०१४ में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- ०४ पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
<u>रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर</u>

रेल संपत्ति (वि.वि.क.) अधिनियम के तहत माह अगस्त-२०१४ में पंजीकृत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त-१४	१८	२५३५०	२२	००	००

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त-२०१४

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त-१४	१८	१८	२५३५०	२५३५०	२२	००	००

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त-२०१४

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त-१४	०१	००	१३७६६	००	००	००	००

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त-२०१४

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त-१४	१६	१८	३६१४६	२५३५०	२२	००	००

रे.सु.ब. द्वारा माह अगस्त–१४ के दौरान
किये गये अच्छे कार्यो ब्यौरा

०१. दिनांक ०८.०८.२०१४ को गाड़ी संख्या १५०१० चित्रकूट एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहे यात्री श्री बवलेश यादव पिता श्री गलवाली यादव उम्र १८ वर्ष निवासी भड़रहा थाना सेमरिया जिला रीवा से समगा–जैतवार स्टेशनों के मध्य दो लड़कों द्वारा पर्स जिसके अन्दर २८०/–रुपये नगद व नोकिया मोबाइल छीना गया एवं वह जैतवार स्टेशन मे उतरकर भाग गये। पीड़ित यात्री द्वारा जैतवार स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात रेल सुरक्षा बल प्रधान आरक्षक श्री कुशल सिंह व श्री ब्रजभान प्रसाद शर्मा को अपने पैसे व मोबाइल छीनने के संबंध मे बताया। दोनों प्रधान आरक्षकों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित कुमार आत्मज राम कुमार गर्ग उम्र १६ वर्ष ग्राम खुटहा थाना जैतवार जिला सतना को पकड़कर उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में यात्री द्वारा लिखित फरियाद देने पर जीआरपी सतना के द्वारा अ.क्र ०७०–३८१/१४ धारा ३९२ आईपीसी दिनांक ०८.०८.२०१४ को कायम कर गिरफ्तारी किया गया है।

०२. दिनांक १४.०८.२०१४ को सूचना प्राप्त होने पर, घर से भागी हुई एक लडकी मालती तथा एक लड़का योगेश कुमार निवासी गिरीडीह झारखण्ड को गाड़ी संख्या १२३२१ से उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव के द्वारा पिपरिया स्टेशन पर उतारा गया तथा लड़की को चाइल्ड लाइन जबलपुर में सुपुर्द किया गया तथा लड़के को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है।

०३. दिनांक ०४.०८.२०१४ को रेसुबल पोस्ट इटारसी के उपनिरीक्षक विजय सिंह हमराह स्टाफ सहायक उप निरीक्षक कमल सिह यादव के साथ इटारसी स्टेशन पर रात्रिकालीन गस्त के दौरान वन विभाग इटारसी के डिप्टी रेन्जर श्री अनिल तिवारी मय स्टाफ मिले और उन्होने बताया कि गाडी क्रमांक ११०६६ पवन एक्सप्रेस मे चंदन की लकडी की तस्करी की सूचना मिली है। उक्त गाडी के इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक ०६ पर आगमन पर आर.पी.एफ., जीआरपी व वन विभाग इटारसी के द्वारा संयुक्त रुप से घेराबन्दी कर चेकिंग की गयी तो इंजिन के पास वाले सामान्य श्रेणी कोच क्रमांक–सीआर ००७०४ मे ०४ महिलाये ०४ प्लास्टिक की बोरियो जो कि भरी हुई थी के साथ बैठी दिखी। संदेह होने पर उक्त बोरियो को खुलवाकर देखा गया तो उनमे चंदन की लकडी के टुकडे मिले। बाद उक्त चारो महिलाओ को बोरियो के साथ गाडी से उतारा गया। बाद वन विभाग इटारसी द्वारा उक्त महिलाओ के कब्जे से प्लास्टिक की बोरियो मे रखी चंदन की कुल ८८ नग लकडिया जिनका वजन लगभग ७५–८० किग्रा आनुमानित कीमत १५ लाख को जप्त किया गया तथा मौके की अन्य कार्यवाही कर उक्त महिलाओ के विरुद्ध नामजद अपराध क्रमांक १४७३३/१६ अंतर्गत जैव विविधता अधिनियम २००२ की धारा २(बएक्एथ), ७, ५५ एवमं ५८ दिनांक ०४.०८.१४ दर्ज किया गया। वन विभाग इटारसी द्वारा उक्त महिला आरोपियो को माननीय न्यायालय इटारसी मे पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

०४. दिनांक ३१.०८.१४ को गाड़ी संख्या १२००२ शताब्दी एक्सप्रेस के ब्रेक में एक घायल यात्री का लाया जा रहा है गाड़ी अटेण्ड किया जाये, उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक राजपति राम स्टाफ के साथ उक्त ट्रेन समय लगभग १४.३० पर प्लेटफार्म नं. ०१ भोपाल पर आई, पीएफ पर मौजूद जीआरपी भोपाल से श्री रमेश प्रसाद शर्मा प्रधान आरक्षक नं. ७६७ साथ आर. विजेन्द्र तथा डिप्टी एसएस श्री अशोक कुमार मिश्रा भोपाल तुरंत घायल ब्यक्ति (यात्री) शहवान पुत्र यार मो० उम्र २२ साल निवासी सगराम पुर थाना त्रिलोक पुरा जिला सिद्धार्थ नगर उप्र पिन कोड २७२१९२ मोबाईल नं. ०९५५४७४१४३३ को जीआरपी स्टाफ द्वारा एम्बुलेंस नं० १०८ एमपी–०२ एव्ही २६५२ से हमीदिया अस्पताल पहुँचवाया गया। यात्री उक्त के गिरने से उसके शरीर व हाथ पैर एवं सिर में चोट थी। उक्त ट्रेन में तैनात गार्ड श्री एस कुरेशी मुख्या. भोपाल द्वारा बताया गया कि ट्रेन को सांची स्टेशन पर समय १३.२८ से १३.४४ बजे तक कुल २४ मिनट रोकी गई। गार्ड द्वारा यह भी बताया गया कि कन्ट्रोल की आदेश पर किमी नं. ८७५/१७ पर ट्रेन नं. १२५४१ से गिरे ब्यक्ति को ब्रेक में लोडकर भोपाल ले जाना है। उक्त घायल व्यक्ति हमीदिया अस्पताल में उपचार मिलने पर स्वस्थ हो गया तथा डाक्टर द्वारा घायल यात्री को अस्पताल से छोड़ दिया गया जिसे परिवारजनों के साथ मुॅबई जाने के लिये बैठाया गया।

०५. दिनांक १६.०८.२०१४ को सउनि/कोटा पोस्ट बीरबल सिहं रात्रि लगभग ०४.०० बजे स्टेशन एरिया गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं. २–३ पर स्थित मुसाफिर खाना में एक यात्री सुगनचन्द पुत्र अमरलाल उम्र–५४ वर्श निवासी इंदिरा कालोनी छबडा मोबाइल नं०–७५६७७१३३४७ ने स्वंय का दूसरा मोबाइल माइक्रोमेक्स का जिसकी कीमत–४०००रु चोरी होना बताया इस पर संदिग्ध व्यक्तियों की खोजबीन के दौरान भागते एक व्यक्ति लालचन्द मीना पुत्र प्रतापसिहं उम्र–३५ वर्श निवासी आजन्दा थाना कापरेन जिला बून्दी को पकड़ा। उसके पास माइक्रोमेक्स का मोबाइल जेब मे मिला जो कि फरियादी ने पहचान कर स्वंय का बताया मय

माल मुल्जिम फरियादी के साथ जीआरपी थाना पहुचकर प्रधान आरक्षक/मोइनखान को सुपुर्द किया जिस पर जीआरपी कोटा द्वारा अपराध क्रमांक-२६६/२०१४ धारा ३७६ आइपीसी कायम कर जांच मे लिया इस कार्यवाही के दौरान फरियादी व आरोपी का फोटो लिया गया है।

०६.दिनांक ०७.०८.२०१४ को उनि/भरतपुर पवन भार्मा ने गाड़ी संख्या-१६०२४ जनता एक्सप्रेस को भरतपुर आगमन पर गाड़ी के सामान्य कोच के सामने प्लेटफार्म नं० ३ पर एक १२ वर्षीय बालक लावारिस हालत में मिला जिससे पूछने पर अपना नाम पवन कुमार पुत्र गणेश, निवासी-पार्थी मौहल्ला, पुरानी दिल्ली बताया एवं अपने दोस्त के साथ मुम्बई जाना बताया। दोस्तो को तलाश किया नही मिलने पर बालक को पोस्ट पर लाकर खाना खिलाया बाद चाईल्ड वेलफेयर समिति के अध्यक्ष आलोक शर्मा एवं जीआरपी व स्टेशन अधीक्षक को सूचित कर चाईल्ड लाईन के प्रतिनिधि सुरेशचन्द्र शर्मा को सुपुर्द किया।

०७.दिनांक २३.०८.२०१४ को गाडी सं. १६०२४ जनता एक्सप्रेस के कोटा स्टेशन आगमन पर उनि/कोटा पोस्ट पूरणचन्द शर्मा ने अटेण्ड किया तो गाडी के कोच एस/५ में एक लडकी व दो लडके संदिग्ध अवस्था में मिले जिन्होंने अपना नाम नाम क्रमशः शिवानी वर्मा पुत्री प्रमोद कुमार वर्मा, उम्र-१५ वर्ष, हरेन्द्र यादव पुत्र रामनरेश यादव, उम्र-२५ वर्ष एवं राहुल पुत्र रमाशंकर, उम्र-२६ वर्श, दोनो निवासी-सुल्तानपुर अजमगढ़ (उ०प्र०) बताया तथा लडकी को भगाकर लाना बताया। लड़की से उसके पिता के मोबाईल नम्बर लेकर संपर्क किया तो उसके पिता ने लडकी की गुमशुदगी रिपोर्ट जमालपुरा थाना में दर्ज कराना बताया। पुलिस थाना जमालपुरा को उक्त जानकारी से अवगत कराया गया। बाद लडकी व दोनों लडको को अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी/कोटा के सुपुर्द किया गया।

०८.इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर ३३५ व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (च्तवीपइपजपवद व ॅिकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद व ि जतंकमए चतवकनबजपवदए ेनचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद)बजए २००३द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे ६७,०००/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह अगस्त–२०१४ में की गई कार्यवाही का विवरण :–

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
१३७	३३६४	१४६५५६६
१३८	१०२८०	४११८६७६
१३९	०	०
१४१	४१५	२००७१०
१४२	०	०
१४३	५	०
१४४	१६१३	४६१४७५
१४५	७२०	६५७३०
१४६	५	१५५६०
१४७	४७४	६७८५०
१५३	२	५५००
१५४	११	४४१००
१५५	८४१	३४६००
१५६	२४५	१३४००
१५७	०	२२०००
१५९	४४०	२२२००
१६०	१६	१२५४०
१६१	०	४८०००
१६२	१३८५	३१६००
१६३	०	०
१६४	०	०
१६५	०	०
१६६	०	०
१६७	१८	१७००
१७२	०	०
१७३	०	०
१७४	१९	३२३००
१७५	०	०
१७६	०	०
१८०;हब्ब	०	०
ज्वजंस	१९एट५३	६६एद४ए११३